16.9.25

पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय प्रति पृथक से तहसीलदार अलवर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जाकर बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

(42)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री माधव भारद्वाज (आई.ए.एस.)

दावा संख्या	तारीख दायर	अन्तिम निर्णय
1/28	25.03.2025	16–9–2025

बउनवान

1:–मैसर्स त्रेहान अपना घर प्रा० लि०, जर्ये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अशोक कुमार सैनी पुत्र स्व० श्री सोहन लाल सैनी उम्र करीब 56 साल निवासी मीणा धर्मशाला के पीछे, नयाबास, अलवर

वादी

बनाम

1:–अकबर पुत्र मुशिया,
2:–पन्नी पुत्र मुशिया,
3:–हुरू पुत्र मुशिया निवासीयान ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर राज०
4:–उप पंजीयक अलवर।

असल प्रतिवादीगण

5:–तहसीलदार भू०अ० अलवर ।

तकमीली प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अन्तिम निर्णय

वादी ने धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खाता सं. 431 आराजी खसरा नम्बर 1132 रकबा 0. 92 है० ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं जो इस दावे हाजा में विवादित हैं विवादित आराजी में मिन वादी का 1/4 सालिम हिस्सा कब्जे काश्त खातेदारी का है तथा तदानुसार हाल राजस्व में मिन वादी के नाम का अमल दरामद चला आ रहा हैं तथा मिन वादी अपने सालिम हिस्से पर काबिज दाखिल होकर काश्त करता चला आ रहा हैं कि विवादित आराजीयात अबट काश्त भूमि हैं जिसका आज दिन तक तकासमा नहीं हुआ हैं असल प्रतिवादी सं. 1 ला० 3 सहकाश्तकारान हैं जो मिन वादी से दिली रंजिश रखते हैं तथा असल प्रतिवादी सं. 1 ला० 3 आये दिन मिन वादी को विवादित आराजीयात में उसके सालिम कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करते हैं तथा वादी को उसके सालिम हिस्से से जबरन बेदखल करना चाहते हैं तथा विवादित आराजी व उसके अंश व हिस्से को बगैर तकासमा के भू–माफिया लोगो को बेचान करने पर आमदा हैं। जिससे मिन वादी का असल प्रतिवादी सं. 1 ला० 3 के साथ सालिम में काश्त करना दुश्वार हो गया हैं इस पर मिन वादी ने असल प्रतिवादी सं. 1 ला० 3 के साथ सालिम में काश्त करना संभव नहीं होने के कारण विवादित आराजीयात को हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी व बूरी में से बूरी तकसीम करने हेतु निवेदन किया गया तो असल प्रतिवादी सं. 1 ला० 3 ने विवादित आराजीयात को तकसीम करने से इन्कार कर दिया तथा वादी को धमकी दी कि असल प्रतिवादी सं. 1 ला० 3 विवादित आराजीयात में वादी को उसके सालिम हिस्से में काश्त नहीं करने देगे तथा वादी को उसके सालिम हिस्से से जबरन बेदखल कर देगे तथा विवादित आराजी में कच्चा पक्का निर्माण करेगे यदि असल प्रतिवादीगण अपने बेजा मकसद में सफल हो गये तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। जिससे वादी के पास यह वाद पत्र ... अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा हैं।

वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु बिनाय दावा व बिनाय मुखारमत दिनांक 17.03.2025 को असल प्रतिवादी सं. 1 ला० 3 अपने साथ भू–माफिया लोगो को लेकर विवादित आराजीयात पर आया तथा मिन वादी के सालिम कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करने लगे असल प्रतिवादी सं. 1 ला० 3 विवादित आराजीयात व उसके अंश व हिस्से को हाल रिकोर्ड के आधार पर बगैर तकासमा के किसी दीगर व्यक्ति को रहन बंय हिब्बा व अन्य प्रकार से अंतरण कर देगे तथा अंतरण दस्तावेज असल प्रतिवादी सं. 4 के यहाँ तस्दीक करा देगे।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिग्री व आज्ञा सादिर फरमाई जावें कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिग्री तकसीम आराजीयात इस अमर की सादिर फरमाई जावें कि विवादित आराजी खाता सं. 431 आराजी खसरा नम्बर 1132 रकबा 0.92 है० वाके ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर राजस्थान में मिन वादी के 1/4 सालिम हिस्सा को अच्छी में से अच्छी व बूरी में से बूरी तकसीम किया जाकर पृथक से खाता कायम किया जावें तथा पृथक से लगान का निर्धारण किया जावें कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिग्री हुकुमइम्तनाई दवामी इस अमर की सादिर फरमाई जावें तथा विवादित आराजीयात की बावत कोई अंतरण दस्तावेज तस्दीक ना करे मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। असल प्रतिवादीगणो ने बावजूद रजिर्स्टड नोटिस सूचना उपरान्त भी उपस्थित नही हुये प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लेते हुये वाद वादी एक तरफा सुनवाई कर दिनॅाक 30–06–2025 को प्रारम्भिक निर्णय किया गया कि खाता संख्या 431 आराजी खसरा नम्बर 1132 रकबा 0.92 हेक्टेयर वाके ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर मे अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी बाई मिटस एण्ड बाउन्डस मौके राजस्व रिकार्ड व हिस्से अनुसार रास्ते की सुविधा का ध्यान रखते हुये विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी के नक्शे मे विभाजन को प्रर्दशित करते हुये पेश करे।

तहसीलदार अलवर से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई तहसीलदार अलवर ने अपनी रिपोर्ट जर्ये पत्रॅाक भू0अ0/2025/5279 दिनॅाक 05–8–25 द्वारा कुर्रेजात रिर्पोर्ट खाता संख्या 431 आराजी खसरा नम्बर 1132 रकबा 0.92 हेक्टेयर वाके ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर के कम मे प्रस्तुत कि गई।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया कुर्रेजात रिपोर्ट का अध्ययन किया प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मुताबिक राजस्व रिकॅार्ड सही होना प्रतीत होती है इस प्रकार मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार अलवर के उक्त उनवानी वाद अन्तिम निर्णय किया जाना अन्तिम डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

मुताबिक तहसीलदार अलवर से प्राप्त कुर्रेजात (प्रस्ताव विभाजन) के आधार पर निम्न प्रकार अन्तिम डिकी किया जाता है कुरेजात रिपोर्ट (प्रस्ताव विभाजन) के नक्शा निर्णय का जुज माना जावेगा।

क्र0 स0	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर मय रकबा	किस्म	तरफ/ दिशा	प्रस्तावित रंग नक्शा
1	त्रेहन अपना घर प्राईवेट लिमिटेड दुर्वेश सैनी पुत्र दुर्गा प्रसाद सैनी जाति माली मकान सख्या0 कालोनी –हीराबास, काली मोरी शहर अलवर–301001 जिला अलवर	1132 मि0 रकबा 0.23 है0	बारानी प्रथम	उत्तर	गुलाबी

02	(01) अकबर पुत्र मुशिया जाति मेव सा0 देह खातेदार हि0 1/3 राहिन बडौदा राज0 क्षै0 ग्रामीण बैंक शाखा नगलारायसीस (02) पन्नी पुत्र मुशिया जाति मेव सा0 देह खातेदार हि0 1/3 राहिन ओ.बी.सी. तेजमण्डी अलवर मु.बि.क. (03) हुरू पुत्र मुशिया जाति मेव जाति मेव सा0 देह खातेदार हि0 1/3 राहिन बडौदा राज0 क्षै0 ग्रामीण बैंक शाखा नगलारायसीस	1132 मि0 रकबा 0.69 है0	बारानी प्रथम	दक्षिण	आसमानी

अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

माधव भारद्वाज
(I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 16 –09–25 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

माधव भारद्वाज
(I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर